संख्याः 5/2019/ 373/35-1-2019-736/2018

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दीर्घकालीन योजना प्रभाग,
रा0नि0सं0, उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 26 अप्रैल, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2018, दिनांक 22 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- ''3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-03-इनोवेशन सेल की स्थापना'' के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत **रू0 16.00 लाख (रूपये सोलह लाख मात्र)** की धनराशि को नीचे अंकित विवरण में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	**कोड नं0**	**मद का नाम**	**वित्तीय वर्ष् 2019-20 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि**
1	04	यात्रा व्यय	2.00
2	08	कार्यालय व्यय	2.00
3	11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
4	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75
5	13	टेलीफोन पर व्यय	0.25
6	18	प्रकाशन	2.00
7	19	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1.00
8	42	अन्य व्यय	2.00
9	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00

10	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00
11	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00
		योग-	**16.00**

(1) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(5) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के **अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- ''3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-03- इनोवेशन सेल की स्थापना''** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किया रहा है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

संख्याः **5/2019/ 373**(1)/35-1-2019, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।